भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2022

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना

2022. श्री वामसि कृष्णा गद्दामः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेड्डापल्ली में सूती वस्त्र, हरित ऊर्जा उपकरण और वाहन-चालन संबंधी कलपुर्जों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन और निधि-आबंटन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) इन विशेष आर्थिक क्षेत्र पहलों के माध्यम से कितने रोजगार सृजित होने की अपेक्षा है और सरकार द्वारा क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए कौन से उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहल हैं जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग स्थापित किया जा सकता है। एक एसईजेड की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई निधि स्वीकृत नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को तेलंगाना के पेड्डापल्ली में सूती वस्त्र, हरित ऊर्जा उपकरण और मोटर वाहन स्पेयर पार्ट्स के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****